रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/96

REGD. NO. D.L.-33004/96

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 564] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 3, 1996/आश्विन 11, 1918
No. 564] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 3, 1996/ASVIN 11, 1918

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
No.
Date
GOVT. OF INDIA

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अक्तूबर, 1996

का. आ. 685(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 (1973 का 46) की धारा 4 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 50 के अनुसरण में और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. का. आ. 695 (अ), तारीख 17 सितम्बर, 1993 को अधिक्रांत करते हुए, प्रत्येक अपर प्रवर्तन निदेशक को, उक्त अधिनियम के किसी उपबन्ध धारा 13, धारा 18 की उपधारा (1) के खंड (क), धारा 18क और धारा 19 की उपधारा (1) के खंड (क) से भिन्न या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम, दिए गए किसी निदेश या किए गए किसी आदेश के उल्लंघन के ऐसे मामलों का न्यायनिर्णयन करने के लिए, जिनमें पैंतीस लाख रुपये से अनधिक राशि या मूल्य अंतर्वलित हो, सशक्त करती है।

[सं. 14/96 (फा. सं. 1/3/96-प्रशा.-1-ग)]

एस. के. मिश्रा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd October, 1996

S.O. 685(E).—In pursuance of Section 50, read with sub-section (3) of section 4, of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 (46 of 1973) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Revenue No. S.O. 695(E) dated 17th September, 1993, the Central Government hereby empowers every Additional Director of Enforcement to adjudicate cases of contravention of any of the provisions of the said Act (other than Section 13, Clause (a) of sub-section (1) of section 18, section 18A and cluase (a) of sub-section (1) of section 19 or any rule, direction or order made there under, involving an amount or a value not exceeding rupees thirty five lakhs.

[No. 14/96 (F. No.1/3/96-Ad. IC)]

S. K. MISRA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 — 1996